न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच.जे.एस.)
(JO CODE UP–2002)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–775/2026
CNR No. UPGH010015562026

अशोक राजभर उम्र 50 वर्ष पुत्र भगीरथ राजभर निवासी ग्राम बभनौलिया, थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर। **–––––आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), गाजीपुर।

–––––विपक्षी

मु०अ०सं०–45/2026
धारा–64(2)K भारतीय न्याय संहिता
थाना–दिलदारनगर, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री दीनबन्धू तिवारी, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

15–05–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अशोक राजभर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–45/2026, धारा–64(2)K भारतीय न्याय संहिता, थाना दिलदारनगर, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती कंचन देवी द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया कि आज दिनांक 15.3.2026 को सुबह 10.30 बजे मैं देहात मे आलू खोदने चली गई थी। घर पर मेरी पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष, जो गूंगी व विकलांग है। घर पर अकेली थी। अकेलापन का फायदा उठाकर हमारे ही गाँव का रहने वाला अशोक राजभर पुत्र भागीरथी राजभर निवासी बभनौलिया था० दिलदारनगर गाजीपुर मेरी पुत्री /पीड़िता के साथ जबरदस्ती रेप करने लगा। रेप करते समय मेरी गुंगी पुत्री/पीड़िता जोर जोर से आव आव करने लगी तो उसकी आवाज सुन कर मेरे देवर की लड़की सलोनी मौके पर पहुंच गई तथा देखकर शोर गुल करने लगी तो गाँव के तमाम लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों को देखकर अशोक राजभर मौका का फायदा उठाकर भाग गया। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाई करने की कृपा करें। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अशोक राजभर के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–45/2026, धारा–64(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना दिलदारनगर, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट का लोप करते हुए मामले को धारा 64(2)K भारतीय न्याय संहिता में तरमीम किया गया।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक को बेवजह रंजिश फर्जी मुकदमे में साजिश करके हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से फंसाया गया है, जबकि जैसा कहा गया है ऐसी कोई घटना घटित नही हुई है। आवेदक करीब 50 वर्ष से अधिक उम्र का एक मजदूर व्यक्ति है। आवेदक की चार लड़कियां व एक लड़का है। बड़ी लड़की अनीता की उम्र करीब 30 वर्ष है, शादीशुदा व बाल बच्चे वाली है, दूसरी लड़की रेखा करीब 26 वर्ष की शादीशुदा है तथा रानी व राधा कुंवारी है तथा एक लड़का मनीष है, मनीष बिना शादीशुदा है। इससे यह साबित होता है कि एक बेगुनाह व्यक्ति को फर्जी केस में फंसाया गया है। घटना दिन के करीब 10:30 बजे की कहा गया है और रपट में यह कहा गया है कि घर पर कोई नही था केवल पीड़िता थी सरासर गलत है, जबकि रिया कुमारी उम्र करीब 16 वर्ष तथा पवन राज 12 वर्ष घर पर मौजूद थे चारो तरफ घन आबादी है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति इस तरह की घटना कारित कर ही नहीं सकता है। रपट में कहा गया है कि शोर पर देवर की लड़की सलोनी मौके पर पहुच गई और शोर गुल करने लगी जबकि घटना स्थल से सलोनी का घर काफी दूरी पर है, कई घर के बाद है। आस पास के रहने वाले घर के लोग मौके पर नही पहुंचे और सलोनी मौके पर पहुंच गई जिसका घर काफी दूरी पर है वास्तविक्ता यह है कि कंचन देवी की लड़की अंशु की शादी 2025 में थी, उसमें डीजे आया था, जिसे देखने आवेदक भी गया था। डीजे पर काफी लोग नाच रहे थे। नाचने समय आपस में लोग मार पीट करने लगे भगदड़ मच गई। आवेदक को भी भगदड़ में काफी चोटे आई थी तो अंशु के पिता वकील राजभर व कंचन देवी ने आवेदक/अभियुक्त ऊपर झूठा आरोप लगाया कि तुमने ही डीजे पर नाच में भगदड़ व मार पीट कराया है और धमकी दिये कि हम लोग इसका बदला लेकर रहेंगे और तुमको बर्बाद कर डालेंगे, जिसका परिणाम यह फर्जी मुकदमा है। घटना 10:30 बजे दिन का दिखाया गया है, चारों तरफ घन आबादी है, मौके पर देवर की लड़की सलोनी पहुंचना कहा गया है अर्थात मौके का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है, जो भी व्यक्ति साक्ष्य के रूप में दर्शाया गया है, वे सभी पीड़िता के परिवार के लोग है। आवेदक के विरूद्ध धारा– 64 (2) K,B.N.S. कारित करने का कोई पुख्ता साबूत नही है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक/अभियुक्त जेल में दिनांक 19.03.2026 से निरुद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की दिव्यांग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का गम्भीर अपराध कारित किया गया है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर एक दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। प्रस्तुत मामले की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सलोनी कुमारी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में स्पष्ट रुप से कथन किया गया है कि जब वह पीड़िता की आवाज पर भागकर घटनास्थल पर गयी तो वह देखी कि आवेदक/अभियुक्त अशोक राजभर उसकी चचेरी बहन के ऊपर लेटकर गलत काम कर रहा था। उसकी बहन का कपड़ा उतरा हुआ था। जब अशोक राजभर ने उसे देखा तो अपनी पैन्ट पहना तथा वहाँ से भाग गया।

6– प्रस्तुत मामले में विवेचना अभी जारी है एवं अन्य तथ्य प्रकाश में आने शेष हैं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता को 91 प्रतिशत दिव्यांग बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर

बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध कारित करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जो अन्य तर्क लिये गये है, वे मामले के गुण–दोष से संबंधित है, जिनका निस्तारण जमानत के समय नहीं किया जा सकता है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकद/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

7– आवेदक/अभियुक्त अशोक राजभर की ओर से प्रस्तुत जमानत पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 15–05–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।